राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 533/2025

कैलाश चन्द जाटव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री बी.बी.एल. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति, कठूमर, जिला अलवर में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से केकडी, अजमेर किया गया है। उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को पंचायत समिति, कठूमर, अलवर से पंचायत समिति, बिछीवाडा, डूंगरपुर किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी के संबंध में मात्र 6 दिवस में स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है, जो उचित नहीं है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 09.01.2025 एवं 15.01.2025 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानांतरण आदेश में कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 09.01.2025 के द्वारा किया गया, परंतु अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना में कार्यग्रहण नहीं किया गया और नया आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को स्थानांतरण में संशोधन कर बिछीवाडा, डूंगरपुर किया गया, जिसमें कोई नियम विरूद्धता प्रकट नहीं होती है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवायें कहां पर ली जानी है। अधिकरण द्वारा ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील में कोई बल प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष